


तारीख हुक्म	उंशी बनाम अनुनको हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज पापत्र अस्थाई निषे. मु.सं. - 54/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
19.12.2022	<p>पत्रावली पेश हुई! वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद पत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 14.12.2022 को पारित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार की जाती है तथा उभय पक्षकारान् को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 120, 121, 125 से 129, 148 से 151, 155, 249, 422, 87 कुल कित्ता 15 कुल रकबा 11.46 हैक्टर तन् ग्राम चूड़ला पटवार हल्का सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर के मौका एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की निर्णित मूल पत्रावली मूल वादपत्र के हमफिता हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) </p>	

